संख्या- 770/41-1-2025-सी0एन0-1796736/2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 26 अगस्त, 2025**

विषय: जनपद जौनपुर के ग्राम सभा नीभापुर, वि0ख0 मुंगराबादशाहपुर में पियरी देवी धाम का पर्यटन विकास कार्यकी परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2667/6-1-1(रा0यो0विविध)/2024-25, दिनांक 18 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद जौनपुर के ग्राम सभा नीभापुर, वि0ख0 मुंगराबादशाहपुर में पियरी देवी धाम का पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-331/2025/1037/ 41-1-2025-सी0एन0-1796736/2024, दिनांक 29.03.2025 द्वाराउ0प्र0 पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीयस्वीकृति के संबंध में निर्गत शासनादेश के क्रमांक-17 पर प्रश्नगतप्रायोजना हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्थानामित करते हुए धनराशि रू0 100.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतितथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 0.25 लाख तथा शासनादेशसंख्या-582/2025/1328/41-1-2025/001-सी0एन0-1796736-2024, दिनांक 27.06.2025 द्वारा उ0प्र0 पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त कीवित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्गत शासनादेश के क्रमांक-7 परप्रश्नगत प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 60.00 लाख अर्थातकुल धनराशि रू0 60.25 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रायोजना सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-331/2025/1037/ 41-1-2025-सी0एन0-1796736/2024, दिनांक 29.03.2025 एवं शासनादेशसंख्या-582/2025/1328/41-1-2025/001-सी0एन0-1796736-2024, दिनांक 27.06.2025को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अत: प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-331/2025/1037/ 41-1-2025-सी0एन0-1796736/2024, दिनांक 29.03.2025 एवं शासनादेशसंख्या-582/2025/1328/41-1-2025/001-सी0एन0-1796736-2024, दिनांक 27.06.2025द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि रू0 60.25 लाख (रूपये साठ लाख पच्चीस हजार मात्र) को मयब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ प्रयागराज। 0प्र0
2- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उ प्रयागराज। 0प्र0
3- जिलाधिकारी, जौनपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ 0 कारपोरेशन लिप्रोजेक्ट्स 0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, उ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण 0प्र0UPNEDA(, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी,लयमुख्या (योजनाराज्य) , पर्यटन निदेशालयय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3,5, करें।र से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्टको अपने स्त 7एवं 6
9- वित्त -अनुभाग (नियंत्रण-यव्य)7
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।